संख्या-1/2019/18/एक-1-2019-20(29)/2017

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2019

विषय:- प्रदेश में छुट्टा गौ-वंश के समुचित रख-रखाव के लिए गोचर भूमियों व सार्वजनिक उपयोगों की अन्य भूमियों के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

शासन को जनपद स्तर से निरन्तर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं कि छुट्टा/अन्ना गौ-वंश के रख-रखाव हेतु चारागाह की भूमि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाये ताकि इस भूमि पर सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से गौ-वंश केन्द्रों का संचालन किया जा सके।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व संहिता, 2006 के प्राविधानों के दृष्टिगत चारागाह की भूमि धारा-77(1)(क) के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की सुरक्षित श्रेणी में आती है, जिस पर न तो किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं और न ही ऐसी भूमि को ग्राम सभा द्वारा एम0ओ0यू0 के आधार पर किसी अन्य गैर-सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) आदि को प्रबन्धन हेतु दिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के प्राविधानों में यह भी स्पष्ट है कि चारागाह हेतु सुरक्षित भूमि अथवा उसके किसी आंशिक भू-भाग पर किसी प्रकार का निर्माण अथवा चहारदीवारी आदि का निर्माण कराया जाना भी नियमानुकूल नहीं माना जा सकता है, परन्तु यदि ऐसी भूमि पर ग्राम सभा द्वारा चारा प्रदान करने वाली वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जाता है अथवा पशुओं के पीने के लिए नलकूप व चरही आदि का निर्माण किया जाता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस कार्य में यदि किसी एन0जी0ओ0 अथवा कारपोरेट घराने द्वारा सी0एस0आर0 के अंतर्गत ग्रामसभा को कोई सहयोग प्रदान किया जाता है अथवा ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं अनुबंध (ग्राम सभा की भूमि प्रबन्धक समिति प्रथम पक्ष होगी) के बाद अपने व्यय पर नलकूप/चरही आदि की स्थापना की जाती है तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है।

जहाँ तक पशु आश्रय स्थलों की स्थापना का बिन्दु है, उनका निर्माण, यथानियम ग्रामसभा के प्रस्तावों के उपरान्त ग्रामसभा के प्रबन्धन के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षित श्रेणी-77(1) से इतर श्रेणी की भूमियों पर किया जा सकता है। इस हेतु गोचर भूमि के पास में विनिमय आदि के माध्यम से अनारक्षित भूमि की व्यवस्था की जा सकती है।

तदनुसार प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेत्तर अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव

shashanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

Shashanadesh.up.nic.in